राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक प.3(227)राज-7/2014 जयपुर, दिनांक 18/9/25

-::आदेश::-

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषय-Public Land Protection Committee में निस्तारित होने वाले प्रकरणों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।
संदर्भः-माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सि.रि.या.सं. 13369/2025 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 की अनुपालना में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ के समक्ष विचाराधीन याचिकाओं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय भूमियों यथा चारागाह भूमि, जोहड़ भूमि, तालाब, नदी नाले, कैचमेंट एरिया, सार्वजनिक रास्ता, शमशान कब्रिस्तान इत्यादि पर विद्यमान अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में अनुतोष चाहा जाता है। ऐसी याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा सामान्यतः याचिकाकर्ता द्वारा PLPC के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण आख्यात्मक आदेश के माध्यम से आदेश में वर्णित विहित समयावधि में निस्तारित किये जाने के निर्देश जारी किये जाते है।

सामान्यतः यह देखने में आया है कि ऐसे प्रकरणों में विहित समयावधि में प्रकरण का निस्तारण नहीं होने या माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आख्यात्मक आदेश के माध्यम से निस्तारित नहीं किये जाने के कारण स्वरुप माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना होने के संबंध में अवमानना याचिकायें प्रस्तुत की जाती है एवं माननीय न्यायालय द्वारा इसे विपरीत रूप से लिया जाकर प्रशासनिक अधिकारी यथा जिला कलक्टर इत्यादि की व्यक्तिशः उपस्थिति के निर्देश बारम्बार प्रदत्त किये जाते है जो कि एक गंभीर विषय है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डी.बी. सिविल (PIL) याचिका संख्या 10819/2018 जगदीश प्रसाद मीणा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित न्यायालय आदेश दिनांक 30.01.2019 की पालना में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा आदेश दिनांक 24.04.2019 जारी कर राजकीय भूमियों पर विद्यमान अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में Public Land Protection Committee (PLPC) का गठन किया गया है एवं आदेश दि.26.12.2019 द्वारा PLPC के प्रभावी संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है **(प्रति संलग्न)**।

समस्त जिला कलक्टर्स को राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी यथा पत्रादेश दिनांक 17.11.2021, 23.08.2022, 04.05.2023, 02.07.2024 द्वारा Public Land Protection Committee (PLPC) में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों का निस्तारण **न्यायालय आदेशों में विहित समयावधि या शिकायत प्राप्ति के 03 माह में आदेश में वर्णित निर्देशों अनुरूप निस्तारित** किये जाने के दिशा-निर्देश प्रदत्त किये गये है **(प्रति संलग्न)**, परन्तु माननीय न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिकाओं की संख्याओं के

दृष्टिगत एवं प्रासंगिक डी.बी.सि.रि.या.सं. 13369/2025 अभय सिंह बनाम सरकार समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 में जारी निर्देशों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों की समुचित पालना नहीं की जा रही है।

अतः डी.बी.सि.रि.या.सं. 13369/2025 अभय सिंह बनाम सरकार समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 के आदेश के अनुक्रम में एतद्द्वारा आपको निर्देश दिये जाते है कि :–

1 राजकीय/सार्वजनिक भूमियों पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों/अभ्यावेदनों का निस्तारण प्राप्ति की तिथि से **30 दिवस** के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें।

2 ऐसे अभ्यावेदनों का निस्तारण राजस्व विभाग द्वारा समय–समय पर जारी यथा पत्रादेश दिनांक 17.11.2021, 23.08.2022, 04.05.2023, 02.07.2024 द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। साथ ही राज्यादेश दिनांक 02.07.2024 में वर्णित बिन्दु संख्या–03 में अंकित समयावधि को 03 माह के स्थान पर एतद्द्वारा 30 दिवस किया जाता है।

3 यदि किन्हीं प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी या अन्य अधिकारी जिसके द्वारा कार्यवाही अपेक्षित थी, की उदासीनता से माननीय न्यायालय द्वारा राजहित के विपरीत कोई आदेश/कार्यवाही की जाती है तो ऐसे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जावे।

भवदीय,

Sudhansh Pant
18/9/2025

(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

(39)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांकः-प.3(227)राज-7/2014

जयपुर, दिनांकः- 17/11/21

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः-न्यायिक याचिकाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री अखिल मेहता से हुई वार्तानुसार यह ध्यान में आया है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं जनहित याचिकाओं में जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट के अभाव में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है एवं अवमानना याचिकाओं में माननीय न्यायालयों के निर्णयों पर जो अपील का निर्णय किये जाने के उपरान्त भी विहित समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण/निर्णयों की पालना नहीं होने से अवमानना कार्यवाहियों में राजस्व सचिव एवं जिला कलक्टर को व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु निर्देशित किये जाने की पूरी संभावना बनी हुई है जो अत्यन्त खेदजनक है।

अतः निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें:-

1. राजस्व मामलों में माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना में प्रस्तुत अभ्यावेदनों का (विशेषकर PLPC में निस्तारित होने वाले प्रकरण) विधिक प्रक्रियानुसार निस्तारण कर एवं जिन प्रकरणों में सक्षम स्तर से जो अपील के निर्णय होने के उपरान्त माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना होनी है की पालना कर इस संबंध में अनुपालना रिपोर्ट 7 दिवस के भीतर शासन को अवगत् करावें।
2. माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अवमानना याचिकाओं में से उन प्रकरणों में जिनमें मूल निर्णयों की पालना की जा चुकी है उनमें जवाब प्रस्तुत कर अवमानना याचिकाओं को निस्तारित/खारिज करवायें एवं अन्य अवमानना याचिकाओं में वांछित जवाब तैयार कर पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर शासन को अवगत् करावें।
3. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पी0आई0एल याचिका एवं अन्य याचिकाओं में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर जवाब संबंधित अधिवक्ता से तैयार करवाकर शीघ्रताशीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करावें जिससे राज्य के पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ़ ढंग से रखा जा सके।

उक्त बिन्दुओं के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट शासन को 7 दिवस के भीतर प्रेषित। यदि प्रकरण में प्रभारी अधिकारी या अन्य अधिकारी की उदासीनता के कारण न्यायालय द्वारा विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

<u>कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।</u>

भवदीय,

17/11/21

(कमल कान्त शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री अखिल मेहता, अति. महाधिवक्ता, मा. राज. उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. श्री सुनील बेनीवाल, अति. महाधिवक्ता, मा. राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय से संबंधित एवं जिला कलक्टरों से संबंधित याचिकाओं में आपके स्तर से भी निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, खुदकाश्त एवं जागीर विभाग, राज0, जयपुर।

17/11/21
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांकः-प.3(227)राज-7/2014

जयपुर, दिनांकः- 23/8/22

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः-PLPC में निस्तारित होने वाले न्यायिक प्रकरणों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

संदर्भः-इस विभाग के समसंख्यक पत्र दि.17.11.2021 के अनुक्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष PLPC में निस्तारित होने वाले न्यायिक प्रकरणों में राज्य सरकार के विरुद्ध विभिन्न अवमानना याचिकायें प्रस्तुत की जा रही है। जबकि माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित डी.बी.सिविल (PIL) याचिका संख्या 10819/2018 में आदेश दिनांक 30.01.2019 जगदीश प्रसाद मीणा एवं राजस्थान राज्य में पारित निर्देशों की पालना में राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण के संबंध में जिला स्तर पर गठित PLPC में शीघ्र निस्तारित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः प्रत्येक जिला स्तर पर राजस्व मामलों में माननीय न्यायालयों के निर्णयों के द्वारा PLPC का गठन किया जा चुका है, की पालना में PLPC में निस्तारित होने वाले प्रकरणों में प्रस्तुत अभ्यावेदनों का न्यायालय आदेशानुसार मियाद अवधि में विहित प्रक्रियानुसार निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करावें ताकि PLPC मामलों में अवमानना से बचा जा सके।

यदि किन्हीं प्रकरण में प्रभारी अधिकारी या अन्य अधिकारी की उदासीनता के कारण न्यायालय द्वारा विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिता प्रदान करावें।

(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिःनिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री गणेश, अति. महाधिवक्ता, मा. राज. उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. श्री सुनील बेनीवाल, अति. महाधिवक्ता, मा. राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय से संबंधित एवं जिला कलक्टर्स से संबंधित याचिकाओं में अपने स्तर से भी निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, खुदकाश्त एवं जागीर विभाग, राज0, जयपुर।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांकःप.3(227)राजस्व-7/2014 जयपुर,दिनांकः~~5-05-2023

1. **समस्त जिला कलक्टर्स**
राजस्थान।
2. निबंधक,
राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. आयुक्त भूप्रबंध विभाग, जयपुर।

विषयः न्यायिक/अवमानना एवं पीएलपीसी प्रकरणों की मॉनीटरिंग एवं पालना हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रायः यह देखने में आया है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों की निर्धारित समयावधि में पालना/अपील की कार्यवाही नहीं किये जाने तथा अपील/नो अपील होनें के उपरांत भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं एवं राजस्व विभाग के प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता जयपुर एवं जोधपुर पीठ से समय-समय पर प्रभावी समन्वय स्थापित नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के हित विपरित रूप से प्रभावित होते हैं तथा अवमानना के अधिकांश प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की कार्यवाही सम्पादित नही की जाती हैं, जिसके कारण उच्च अधिकारियों को न्यायालय में तलब किये जाने की आशंका बनी रहती है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपके जिले के राजस्व विभाग से संबधित प्रकरणों मे नियुक्त प्रभारी अधिकारी/समन्वयक एवं अवमानना याचिकाओं को निर्देश जारी करें कि प्रकरण में प्रभावी प्रतिरक्षण एवं अद्यतन स्थिति के साथ माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की पालना हेतु समय पर अवगत कराकर राज्य हित सुनिश्चित करावें। प्रभारी अधिकारी/समन्वयक की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण

प्रकरण विशेष में राज्य सरकार का हित विपरित रूप से प्रभावित होने पर प्रभारी अधिकारी/समन्वयक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें एवं इस संबंध में संबधित सेवा नियमों के अंतर्गत जवाबदेही सुनिश्चित की जावेगी।

अवमानना प्रकरणों में से अधिकांश प्रकरण सार्वजनिक भूमियों पर अतिकमण से संबंधित होते हैं जिसमें माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की पालना निर्धारित समयावधि में कर दी जावे तो अवमानना की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी एवं प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किये जाने पर नवीन वादकरण उत्पन्न नहीं होंगे। उक्त कम में यह निर्देशित किया जाता है कि:-

1. सामूहिक भूमियों (Common land) एवं सार्वजनिक स्थलों व राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त किये जाने संबंधी याचिकाओ में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा पारित निर्णियों में प्रकरणों को नियत समयावधि में निस्तारित किया जाये ताकि अवमानना की स्थिति उत्पन्न नही हों।
2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना नहीं होने से काफी संख्या में अवमानना याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। इन अवमानना याचिकाओं में विभाग की ओर से दायर किये जाने वाले जवाब में प्रायः यह जवाब प्रस्तुत किया जाता है कि 'राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर दिये गये हैं'। यह माननीय न्यायालय के आदेशों की समुचित अनुपालना प्रतीत नहीं होती है। अतः इस कम में निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में पूर्ण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।
3. जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेशों की पालना के कम में राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये जावें, उन नोटिस में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय के आदेश का रेफरेंस का अंकन किया जावे।
4. सामूहिक भूमियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण की शिकायतों एवं परिवादों का संधारण सम्पर्क पोर्टल पर भी किया जाता है। सम्पर्क पोर्टल पर इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण

166

तहसीलदार को 90 दिवस का समय व उपखण्ड अधिकारी को 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। अतः ऐसी प्राप्त शिकायतों को समयावधि में निस्तारण किया जाये ताकि अनावश्यक वादकरण की स्थिति उत्पन्न नही हो।

सामूहिक भूमियों (Common Land) एवं सार्वजनिक स्थलों व अन्य राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने संबंधी प्राप्त शिकायतो को पीएलपीसी में निस्तारित करानें एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा इस संबंध में समय-समय पर पारित आदेशों की अनुपालना समयावधि में सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की प्रभावी मोनिटरिंग एवं अवमानना के अन्य प्रकरणों में वाद समन्वयकों से प्रभावी कार्यवाही कराने हेतु जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर/उपख़ण्ड अधिकरी (भू.अ./मुख्यालय) को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए संबधित नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम, मोबाईल नं., मेल आइडी सहित विभाग को 7 दिवस में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

आयुक्त भूप्रबंध विभाग एवं निबंधक राजस्व मण्डल अपने स्तर से सक्षम अधिकारी को उक्तानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त कर अवगत करावें।

उक्तानुसार नियुक्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि वह प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जिले से संबधित समस्त न्यायिक/अवमानना प्रकरणों, अपील/नो अपील किये जाने संबंधी प्रकरण एवं पीएलपीसी में निस्तारित प्रकरणों की सूचना LITES पर अपडेट कराते हुए विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें साथ ही विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों से संबंधित आयोजित बैठकों में भाग लिया जाना सुनिश्चित करें।

(अपर्णा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक: प.3(227)राज-7/2014 जयपुर, दिनांक: 2/7/24

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषयः- Public Land Protection Committee में निस्तारित होने वाले प्रकरणों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

संदर्भः- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.2021, 23.08.2022 एवं 04.05.2023 तथा राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र दिनांक 22.04.2024 के अनुक्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ के समक्ष विचाराधीन याचिकाओं जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय भूमियों यथा चारागाह भूमि, जोहड़ भूमि, तालाब, नदी/नाले, केचमेंट एरिया, सार्वजनिक रास्ता, शमशान/कब्रिस्तान पर विद्यमान अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में अनुतोष चाहा जाता है। ऐसी याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा सामान्यतः याचिकाकर्ता द्वारा PLPC के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण आख्यात्मक आदेश के माध्यम से आदेश में वर्णित विहित समयावधि में निस्तारित किये जाने के निर्देश जारी किये जाते है।

सामान्यतः यह देखने में आया है कि ऐसे प्रकरणों में विहित समयावधि में प्रकरण का निस्तारण नहीं होने या माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आख्यात्मक आदेश के माध्यम से निस्तारित नहीं किये जाने के कारणस्वरूप माननीय न्यायालय के आदेशों की सिविल अवमानना होने के संबंध में अवमानना याचिकायें प्राप्त की जाती है एवं माननीय न्यायालय द्वारा इसे विपरीत रूप से देखा जाकर प्रशासनिक अधिकारी यथा जिला कलक्टर इत्यादि की व्यक्तिशः उपस्थिति के निर्देश प्रदत्त वारम्वार किये जाते है जो कि एक गंभीर विषय है।

यह उल्लेखनीय है कि डी.बी. सिविल (PIL) याचिका संख्या 10819/2018 जगदीश प्रसाद मीणा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित न्यायालय आदेश दिनांक 30.01.2019 की पालना में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 26.12.2019 जारी कर राजकीय भूमियों पर विद्यमान अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में PLPC का गठन किया जा चुका है एवं उक्त समिति को आदेश दिनांक 26.12.2019, 17.11.2021, 23.08.2022 एवं 04.05.2023 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशानुरूप कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया है परन्तु माननीय न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिकाओं की संख्याओं के दृष्टिगत यह सुस्पष्ट होता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों की समुचित पालना नहीं की जा रही है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है किः-

1. राजकीय/सार्वजनिक भूमियों पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें जो कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज होते है उन्हें PLPC Cell में दर्ज किया जाकर शीघ्र निस्तारण करें।
2. राजकीय/सार्वजनिक भूमियों पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों/अभ्यावेदनों के संबंध में PLPC संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार से विद्यमान अतिक्रमण कितने क्षेत्र में स्थित है के संबंध में मौका स्थिति की जांच करवायें।
3. PLPC से संबंधित राजस्व मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ के निर्णय/आदेश की पालना में प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निस्तारण आदेश में विहित समयावधि एवं PLPC में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण तीन माह के भीतर संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार से विद्यमान अतिक्रमण कितने क्षेत्र में स्थित है के संबंध में मौका स्थिति की जांच करवाकर आख्यात्मक आदेश के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. यदि उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में भूमि जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है पर अतिक्रमण पाया जाता है उस स्थिति में PLPC Cell के प्रभारी अधिकारी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही समयबद्ध जो कि आख्यात्मक आदेश जारी किये जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह होगा, के निर्देश संबंधित तहसीलदार को प्रदान करावें।

5 PLPC द्वारा ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित दिशा-निर्देश, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अदुल रहमान के प्रकरण, सुओमोटो प्रकरण, गुलाब कोठारी के प्रकरण एवं जगदीश प्रसाद मीणा के प्रकरण में पारित आदेशों/दिशा-निर्देशों एवं राजस्व नियमों एवं प्रावधानों एवं राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले परिपत्र/आदेश पत्रों को ध्यान में रखा जावे।

6 PLPC द्वारा आख्यात्मक आदेश के माध्यम से प्रकरण के निस्तारण बाद याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत/अभ्यावेदन के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे, जिसमें निम्न सूचनाओं को शामिल किया जाना सुनिश्चित करावेंः-

- कि विवादित भूमि जिसके संबंध में अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त हुई है, पर किसी प्रकार का अतिक्रमण PLPC द्वारा विद्यमान पाया गया है अथवा नहीं।
- यदि अतिक्रमण विवादित भूमि पर विद्यमान है तो ऐसे अतिक्रमी को हटाये जाने बावत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत विधि अनुसार बेदखली के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है अथवा नहीं।
- अतिक्रमी की बेदखली के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने और इस संबंध में क्या कदम/कार्यवाही की गई जिसमें यदि अतिक्रमी को विवादित भूमि पर से हटाया जाना इस कारण संभव नहीं हो कि अतिक्रमण की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगन आदेश है या अन्य वादकरण के आधार पर बेदखली की कार्यवाही किये जाने पर रोक है एवं इस प्रकार बेदखली की कार्यवाही लम्बित हो।

7 PLPC द्वारा की गई कार्यवाही से विचाराधीन अवमानना याचिकाओं में अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कराते हुए अवमानना याचिकाओं को राज्यहित में शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें एवं इस संबंध में प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को अपेक्षित दिशा-निर्देश जारी करावें। उक्त की गई कार्यवाही/सूचना को राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के आदेश दिनांक 22.04.2024 के अनुक्रम में निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर को भेजे जाने वाली मासिक सूचना में अन्तर्निहित/संलग्न करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

8 अवमानना याचिकाओं या माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुसरण से पृथक स्वतंत्र रूप से प्राप्त शिकायते/विधिक नोटिस जिनमें राजकीय भूमियों पर विद्यमान अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में भी प्रभावी रूप से निस्तारण PLPC द्वारा युक्ति-युक्त समय के भीतर कराया जाना सुनिश्चित करावें जिससे इस संबंध में वादकरण को कम किया जा सके।

9. यदि किन्हीं प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी या अन्य अधिकारी जिसके द्वारा कार्यवाही अपेक्षित थी, की उदासीनता से न्यायालय द्वारा राजहित के विपरीत कोई आदेश/कार्यवाही की जाती है तो ऐसे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जावे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

158
154

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (Gr-6) DEPARTMENT

File no. F1(114)Rev-6/15 Jaipur, Dated : 24.04.2019

All Collectors,
Rajasthan

Subject : Establishment of Public Land Protection Cell (PLPC) for rural areas at Districts.

The Hon'ble High Court in D.B. Civil Writ Petition (PIL)No. 10819/2018 Jagdish Prasad Meena & Ors Vs. The State of Rajasthan & Ors vide order dated 30.1.2019 has ordered as follows:

"In order therefore to provide a pan-Rajasthan solution to this ever persisting problem, we deem it appropriate to direct the Chief Secretary of the State to devise a permanent mechanism, which should be operational in every District of the State where the concerned District Collector should be required to periodically notify for the information of the general public to lodge the complaints/representations with regard to such encroachments with a specially designated Public Land Protection Cell (for short 'PLPC') for rural areas. The PLPC should be headed by District Collector and function under his direction and supervision. The PLPC shall get such complaints/representations enquired into by deputing concerned Sub Divisional Officer/Tehsildar/Naib Tehsildar so as to verify whether or not such encroachments have actually taken place on such land. If the allegations are found to be substantiated, appropriate steps in accordance with law be immediately taken for removal of the encroachments and appropriate penal action be also taken against the trespassers. The complaints/representations received in the PLPC should be decided by passing speaking order, informing the respective complainant/representationist about the action taken. This would obviate the necessity of such complainants/representationists approaching this Court directly by way of public interest litigation. If this practice is put in place, this Court would not be inclined to directly entertain such public interest litigation or would do so only in the event of inaction on the part of the concerned PLPC."

Complete copy of the judgement is annexed herewith. Orders for removal of encroachment on common lands were issued from time to time including vide letter dated 11.9.2017. Now in compliance of the above mentioned order, Public Land Protection Cell (PLPC) for rural areas may be set up in revenue section of the Collectorate under the direct supervision and direction of the District Collector. The PLPC may comprise of :-

(a) Clerk or equivalent official
(b) Officer incharge of the revenue section.

PLPC shall function as per the direction contained in the order dated 30.1.2019.

Action taken report may kindly be sent within 7 days.

By the order,
24.4.2019
(Kamlesh Abusaria)
Deputy Secretary

py :- Copy forward to the following for information and necessary action :-

1. PS to Hon'ble Chief Minister.
2. SA to Hon'ble Revenue Minister.
3. PS to Pr.Secy. Revenue Dept.
4. PS to Pr.Secy. Law Dept.
5. AAG, Raj. High Court, Jaipur Bench, Jaipur.
6. All Divisional Commissioners, Rajasthan.
7. Registrar, Revenue Board, Ajmer.
8. Joint Secy./Deputy Secy., Revenue Dept.
9. Guard File.

24.4.2019

Deputy Secretary
o/c

156

राजस्थान सरकार
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग

क्रमांक : प.1(114)राज-6/15 जयपुर, दिनांक : 26.12.19

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः— मा. उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10819/2019 जगदीश प्रसाद मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार से पारित आदेश दिनांक 30.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.04.2019 का संदर्भ ले जिसके द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार PLPC का गठन करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए थे। इस PLPC का गठन राजस्व शाखा में किया जाना है जिसका अध्यक्ष जिला कलक्टर होगा एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा एवं संबंधित राजस्व लिपिक सदस्य होंगे।

इसके प्रभावी संचालन की दृष्टि से कार्यप्रणाली हेतु निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किए जाते हैं:—

1. यह सैल ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक भूमियां एवं सार्वजनिक स्थलों यथा चारागृह, जोहड़, तालाब, नदी, श्मशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक प्रस्ताव इत्यादि पर अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समुचित निस्तारण एवं अतिक्रमण के हटाने का प्रभावी कार्य करेगा।
2. इस प्रकार की शिकायतों एवं परिवादों के संधारण हेतु इस सैल में एक पंजिका का संधारण निम्न प्रारूप में किया जाएगा:—

क्र. सं.	परिवाद प्राप्त होने की दिनांक	परिवादी	अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त विवरण	अधिकारी जिसको परिवाद प्रेषित किया गया है मय क्रमांक व दिनांक	अंतिम रिपोर्ट क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5	6

3. सैल में परिवाद प्राप्त होने पर इसकी प्रविष्टि इस हेतु संधारित पंजिका में की जाएगी।
4. इस प्रकार के परिवाद का संधारण संपर्क पोर्टल पर भी किया जाएगा जिस हेतु PLPC इवेन्ट सम्पर्क पोर्टल पर बनाया जाएगा जिसमें प्रथम स्तरीय अधिकारी तहसीलदार, द्वितीय स्तरीय उपखण्ड अधिकारी एवं तृतीय स्तरीय अधिकारी जिला कलक्टर होंगे ताकि इसका प्रभावी ...

6 परिवाद प्राप्त होते ही इसको संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा।

7 तहसील स्तर पर परिवाद प्राप्त होने पर पटवारी/गिरदावर से जांच करवाकर सही पाये जाने पर धारा 91 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

8 धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण का संक्षिप्त जांच एवं सुनवाई पश्चात निर्णय किया जायेगा।

9 निर्णय पश्चात मौके से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी जिसका सत्यापन तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।

10 पटवारी/गिरदावर द्वारा शिकायत को असत्य बताने पर उसका सत्यापन तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।

11. दोनो ही दशाओं में तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा एवं निस्तारण संबंधी रिपोर्ट बिन्दु 8 अथवा बिन्दु 10 अनुसार परिवादी एवं PLPC को भेजी जाएगी।

12. तहसीलदार स्तर पर प्रकरण में 90 दिन का समय तथा उपखण्ड अधिकारी स्तर पर 30 दिन का समय Sampark Portal पर दिया जायेगा।

13. प्रतिमाह PLPC में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा की जावेगी। यह समीक्षा राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक में भी की जा सकती है।

14. अंत में बिन्दु 11 अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर वाद के निस्तारण हेतु पंजिका के कॉलम 6 में तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का क्रमांक व दिनांक का अंकन किया जाएगा।

भवदीय,

(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को इस अनुरोध के साथ में प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार सम्पर्क पोर्टल पर PLPC इवेन्ट की सुविधा प्रदान करें।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार।

प्रमुख शासन सचिव

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 13369/2025

Abhay Singh S/o Shri Vikram Singh, Aged About 27 Years, Resident Of Naya Kheda, Santpur, Abu Road, Sirohi (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Secretary, Rural Development And Panchayati Raj Department, Government Of Rajasthan, Jaipur
2. The District Collector, Sirohi
3. The Sarpanch, Gram Panchayat Santpur, Tehsil Abu Road, Sirohi
4. The Tehsildar Abu Road, District Sirohi

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhinav Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Ravindra Jala for Mr. S.S Ladrecha,AAG

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE MR. K.R. SHRIRAM
HON'BLE DR. JUSTICE PUSHPENDRA SINGH BHATI

Order

22/07/2025

Though prayer in this PIL is not very happily worded in as much as petitioner is seeking constitution of a PLPC Committee, Shri. Abhinav Jain, counsel for petitioner states that petitioner only wants his representations made as early as in March 2025 to be referred to PLPC Committee of Santpur Village, Tehsil Abu Road, District Sirohi, so that Committee can consider the same and remove all encroachments.

In view of this innocuous request made, we shall dispose the petition with a direction to respondent No. 2 to immediately refer the issue to PLPC Committee of the concerned District. By giving

(Uploaded on 24/07/2025 at 11:48:41 AM)
(Downloaded on 17/09/2025 at 02:35:53 PM)

this direction we are not for a moment certifying that there are any encroachments as alleged by petitioner. The Committee shall independently examine and also call petitioner, if required, for making a presentation or oral submissions.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

At the same time, we also find that petitioner had sent his representations way back in March, 2025. Petitioner has also annexed to the petition copies of representations sent to all respondents through Indian Postal Authorities. There seems to have been no response. Shri. Jain states that none of the respondents even acknowledged the receipt.

Therefore, it is a fit case for us to direct all District Collectors to respond to any such representation received in any matter within 30 days of receiving the same. District Collectors shall also give necessary instructions to their subordinates in the Districts to respond to such communications received.

A copy of this order be sent to the Chief Secretary, Government of Rajasthan, who shall issue similar directions to all District Collectors.

Petition disposed. No order as to cost.

(PUSHPENDRA SINGH BHATI),J **(K.R. SHRIRAM),CJ**

99-divyaP/-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D. B. Civil Writ Petition (PIL) No. 10819/2018

Jagdish Prasad Meena & Others

----Petitioners

Versus

State of Rajasthan & Others

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Satish Khandelwal.
For Respondent(s) : Mr. Anil Mehta, AAG
Mr. Mohar Pal Meena
Mr. Tara Chand Sharma.

HON'BLE MR. JUSTICE MOHAMMAD RAFIQ
HON'BLE MR. JUSTICE GOVERDHAN BARDHAR

Order

REPORTABLE

30/01/2019

Application No. 97071/2018 has been filed for taking on record legal heirs of deceased-Respondent No. 9, Ram Phool Meena. For the reasons mentioned in the application, the application is allowed. Legal heirs of deceased-Respondent No. 9 are taken on record. Amended Cause Title annexed with the application be taken on record.

Mr. Mohar Pal Meena, learned counsel, who appears on behalf of Respondent No. 17 and 20, submits that he will take instructions of legal heirs of Respondent No. 9 and file Vakalatnama on their behalf.

Mr. Anil Mehta, learned Additional Advocate General submits that private respondents have already been evicted from the pasture land where they were sitting as trespassers and in fact, they have been punished under Section 91 of the Rajasthan

(Uploaded on 11/02/2019 at 12:40:00 PM)
(Downloaded on 17/09/2025 at 02:33:24 PM)

Land Revenue Act, 1956 vide order dated 07.11.2017 passed by the Tehsildar concerned with sentence of 90 days and penalty equal to 50 times of the land revenue which comes to Rs. 23/-.

Learned counsel for the petitioners on the other hand submitted that although the aforesaid order may have been passed by the Tehsildar concerned in proceedings under Section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 but in fact, neither the private respondents have been put behind the bars pursuant to the aforesaid order of the Tehsildar, nor their possession over the pasture land has actually been removed.

Rajasthan High Court
Web Copy - Not Official

RAJASTHAN HIGH COURT

The District Collector, Dausa shall file his affidavit with specific assertion as to whether encroachments of private respondents have been removed and the pasture land has been freed from the encroachments and whether the private respondents, who failed to remove the encroachments despite repeated notices, have been made to serve the sentence in terms of order dated 07.11.2017 by actual incarceration.

This Court is inundated with large number of writ petitions, styled as public interest litigation, from almost all the Districts of the State, with allegations of encroachment over the pasture land/ land of 'Johad', 'talab'/ river/river bed/public way/ Shamshan/Kabristan etc. In all such petitions, common allegation is that despite repeated complaints/representations to the concerned revenue officers, no steps are taken by them to remove the encroachment. This results in number of writ petitions being filed by the complainants/representationists before this Court. This Court has been passing orders in such matters requiring the respective District Collectors to examine the factual content of the

allegations and take steps to remove the encroachments so as to secure such land.

In order therefore to provide a pan-Rajasthan solution to this ever persisting problem, we deem it appropriate to direct the Chief Secretary of the State to devise a permanent mechanism, which should be operational in every District of the State where the concerned District Collector should be required to periodically notify for the information of the general public to lodge the complaints/representations with regard to such encroachments with a specially designated Public Land Protection Cell (for short 'PLPC') for rural areas. The PLPC should be headed by District Collector and function under his direction and supervision. The PLPC shall get such complaints/representations enquired into by deputing concerned Sub Divisional Officer/Tehsildar/Naib Tehsildar so as to verify whether or not such encroachments have actually taken place on such land. If the allegations are found to be substantiated, appropriate steps in accordance with law be immediately taken for removal of the encroachments and appropriate penal action be also taken against the trespassers. The complaints/representations received in the PLPC should be decided by passing speaking order, informing the respective complainant/representationist about the action taken. This would obviate the necessity of such complainants/ representationists approaching this Court directly by way of public interest litigation. If this practice is put in place, this Court would not be inclined to directly entertain such public interest litigation or would do so only in the event of inaction on the part of the concerned PLPC.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

RAJASTHAN HIGH COURT

(Uploaded on 11/02/2019 at 12:40:00 PM)
(Downloaded on 17/09/2025 at 02:33:24 PM)

The PLPC aforementioned shall also keep in view the guidelines issued by the Supreme Court in ***Jagpal Singh & Others Vs. State of Punjab & Others, (2011) 11 SCC 396*** wherein all the State Governments of the country were directed that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorised occupants of the Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/ Shamlat land and the same must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupants, after giving them a show cause notice and a brief hearing. It was further held therein that long duration of the illegal encroachment/occupation of land or huge expenditure in making construction thereon or political connections of trespassers are no justification for regularising such illegal occupation. Regularisation should be permitted only in exceptional cases where lease has been granted under some government notification e.g. to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes or where there is already a school, hospital, dispensary, 'shamshan', 'kabristan' or other public utility of the like nature on the land.

Observations of the Supreme Court in ***Jagpal Singh (supra)*** thus leaves no manner of doubt that removal of encroachment on all such land is a rule and regularisation an exception and that too in extremely limited number of cases, which only the Government can do by appropriate notification of the government and no other authority.

List this matter on 14.03.2019.

A copy of this order be sent to the Chief Secretary of the State of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur, who shall

(Uploaded on 11/02/2019 at 12:40:00 PM)
(Downloaded on 17/09/2025 at 02:33:24 PM)

क्रम

ensure compliance of this order and do the needful for creation of Public Land Protection Cell (PLPC) for rural areas.

A copy of this order be also provided to Mr. Anil Mehta, learned Additional Advocate General for compliance.

Rajasthan High Court
Web Copy - Not Official

(GOVERDHAN BARDHAR),J (MOHAMMAD RAFIQ),J

Manoj/36

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते